भारत सरकार / Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

डाकघर/PO: केट/CAT इंदौर/Indore – 452 013

संदर्भ: 14/05/2020-सामा/ 6 2 9 Ref. No. 14/05/2020-GAC/ मार्च 18, 2020 March 18, 2020

परिपत्र/CIRCULAR

नवीन कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के क्रम में बचाव उपाय Sub: **Preventive measures to contain spread of Novel Coronavirus (COVID-19)**

नवीन कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने तथा COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक दूरी को बनाए रखने हेतु, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बचाव उपाय जारी किए हैं।

In order to contain spread of Novel Coronavirus (COVID-19) and to ensure social distancing for controlling the spread of COVID-19, the Department of Personnel Training and Ministry of Health and Family Welfare have issued various precautionary measures.

आरआरकेट में निम्नलिखित निर्देश सख्ती से पालन हेतु तत्काल प्रभाव से जारी किए गए हैं : The following directions are issued for strict implementation in RRCAT with immediate effect :

- 1. विदेशी यात्रा से लौटने पर आरआरकेट के सभी कर्मचारियों को अपनी इ्यूटी फिर से शुरू करने से पहले आरआरकेट चिकित्सा केंद्र को रिपोर्ट करना आवश्यक है। स्टाफ सदस्यों के आश्रितों को विदेश यात्रा से लौटने पर आरआरकेट चिकित्सा केंद्र को रिपोर्ट करना आवश्यक है।
 All RRCAT staff on return from foreign travel are required to report to RRCAT Medical Centre before resumption of their duties. Dependents of staff members on return from foreign travels are also required to report to RRCAT Medical Centre.
- 2. सभी सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन अगले आदेश तक निरस्त किए जाते हैं। All Seminars/Symposiums/Colloquiums stands cancelled till further orders.
- 3. 20 से अधिक सदस्यों के साथ निर्धारित बैठकें भी अगले आदेश तक निरस्त की जाती हैं। Meetings scheduled with more than 20 members are also cancelled till further orders.
- 4. कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे कॉलोनी के गेट और गार्ड हाउस पर भीड़/इकट्ठा होने से बचें । Employees are requested to avoid crowding/gathering at colony gate and guard house.

- 5. परियोजना प्रशिक्षुओं / तसर का प्रवेश निलंबित किया जाता है और उनके टीईपी बंद कर दी जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो प्रशिक्षण की अविध बढ़ाकर छात्रों को अपना प्रशिक्षण पूरा करने का अवसर दिया जाएगा। सभी प्रभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे तदनुसार प्रशिक्षुओं को परामर्श दें। Entry of Project Trainees/TASAR is suspended and their TEPs will be blocked. Opportunity would be provided to students to complete their training by extending their training period, if necessary. All HODs are requested to advise trainees accordingly.
- 6. आरआरकेट में प्रवेश हेतु संबंधित समूह निदेशक की विशेष अनुमित के साथ असाधारण/आपातकालीन मामलों को छोड़कर दैनिक प्रवेश पत्र अगले आदेश तक निलंबित किए जाते हैं।

 Casual Entry Permit for entry into RRCAT is suspended till further orders except in exceptional/emergency cases with special permission of concerned Group Director.
- 7. आरआरकेट में ठेका श्रमिकों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है । सभी वर्ग निदेशक/सह निदेशक कृपया उनकी आवश्यकता की समीक्षा करें एवं अनावश्यक ठेका श्रमिकों के प्रवेश को रोकना सुनिश्चित करें ।

Entry of Contract labourers in RRCAT is restricted. All Group Directors/Associate Directors may review the requirements and ensure to stop unnecessary entries of contract workers.

8. आरआरकेट में केंटीन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होने से बचें । सभी कार्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे घर का बना भोजन साथ में लाए । केंटीन सेवाओं की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र ही निलंबित किया जा सकता है ।

Avoid gatherings at canteen and other common places in RRCAT. All employees are advised to bring home made food. Canteen services will be reviewed and likely to be suspended shortly.

- 9. OAT, LSCC, कल्याण केंद्र एवं पलाश (अतिथि गृह) की बुकिंग अगले आदेश तक स्वीकार नहीं की जाएगी।
 - Booking of OAT, LSCC, Welfare Centre and Palash Dinning Hall (Guest House) will not be entertained till further orders.
- 10. सभी सार्वजनिक सुविधाओं जैसे जिम, क्रेच, खेलकूद परिसर, योग कक्षा, सम्मेलन केंद्र एवं उसके साथ दोनो सभागृह, पऊकेवि का बहुउद्देशीय सभा कक्षा इत्यादि का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है ।

The common facilities like gym, creche, sports complex, yoga halls, Convention Centre and its both the hall, Multipurpose hall of AECS etc. are closed with immediate effect.

11. सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक सरकारी यात्रा को टालें एवं अनावश्यक यात्रा विशेषकर वायरस प्रभावित क्षेत्र में यात्रा न करें।

All employees are advised to avoid non-essential official travel and also avoid travel unnecessarily particularly to any affected region.

- 12. कार्य स्थल, विशेषकर वह स्थान जिसकी सतह का निरंतर उपयोग किया जा रहा है, वहां की उचित साफ सफाई एवं निरंतर स्वच्छता सुनिश्चित करें।
 Ensure proper cleaning and frequent sanitisation of workplace particularly of frequently touched surface.
- 13. सभी पदाधिकारियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे अपने स्वास्थ की स्वयं देखभाल करें एवं अस्वस्थ महसूस करने पर तत्काल अपना कार्य स्थल छोड़े तथा अपने उच्च अधिकारी को सूचित करते हुए आरआरकेट चिकित्सा केंद्र में जांच कराएं।

All officials are advised to take care of their own health and if feeling unwell should leave their workplace immediately and report to RRCAT Medical Centre after informing their reporting officers.

ये बचाव उपाय अगले आदेश तक लागू रहेंगे। These restrictive measures will be in force until further orders.

आरआरकेट एवं इसके परिसर में स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने हेतु आप सभी का सहयोग अपेक्षित है । Co-operation of all is requested to ensure a healthy atmosphere in RRCAT and its premises.

> शैलजा प्रकासम् । ४) ३ | २६ २७ (शैलजा प्रकासम/Shailaja Prakasam) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी Chief Administrative Officer

सभी समूह निदेशक/All Group Directors, सभी सह निदेशक/All Associate Directors, सभी प्रमुख. प्रभाग/अनुभाग/प्रयोगशाला, आरआरकेट All Division Heads/Section Heads/Lab Heads, RRCAT मेलऑल/Mail All

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1. निदेशक कार्यालय, आरआरकेट/Office of Director, RRCAT
- 2. क्षेत्रीय निदेशक (क्रय व भंडार), आरआरकेट/Regional Director (P&S), RRCAT
- 3. उप लेखा नियंत्रक, आरआरकेट/Dy. Controller of Accounts, RRCAT
- 4. उप कमाडेंट, सीआईएसएफ,आरआरकेट/ Dy. Commandant, CISF, RRCAT
- 5. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट/Dy. Chief Security Officer, RRCAT
- 6. प्रभारी, चिकित्सा केन्द्र, आरआरकेट/In-Charge, Medical Centre, RRCAT